

गर्मी में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो-आयुक्त

भिलाईनगर/वित्तीय वर्ष समाप्ति के इन चार दिनों में 31 मार्च तक निगम क्षेत्र के भवन मालिकों के बड़े करदाता जिनका संपत्तिकर की राशि लम्बे समय से बकाया है, उस राशि की वसूली के लिए जोन आयुक्त अपने राजस्व अमले के साथ बकायादारों से सम्पर्क कर वसूली करें। ग्रीष्मऋतु में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रहे नागरिकों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केन्द्रों में आवश्यक संधारण कार्य कर बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, सिढ़ी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, ताकि नागरिक सुविधाजनक ढंग से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने अधिकारियों से कहा कि निगम के करो की वसूली के लिए एजेंसी नियुक्त किये गये हैं इसके अतिरिक्त निगम के करो की ऐसी राशि जो लम्बे समय से वसूली नहीं किये जा सके हैं उनकी सूची सभी जोन को दिया गया है जोन आयुक्त अपने राजस्व अमले के साथ वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च के पूर्व बड़े बकायादारों से सम्पर्क कर राशि की वसूली करें तथा टैक्स नहीं पटाने वालों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। राजस्व करो की वसूली शत प्रतिशत हो।

बैठक में जलकार्य विभाग के अधिकारी ने जानाकारी देते हुए बताया कि निगम क्षेत्र के हर घर को पानी मिले इसके लिए बिछाए गये पाईप लाईन में हुए लिकेज का संधारण किया गया है। मोहल्ले में लगे पावर पम्प तथा हैण्ड पम्प की खराबी की जाँच कर दुरुस्त करवाया जा चुका है। आवश्यकतानुसार मांग के आधार पर टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी निगम द्वारा सुनिश्चित किया गया। लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी पीने को मिले इसके लिए सभी जोन के अलग-अलग 25 स्थान से पानी के नमूने लेकर फिल्टर प्लांट के लेब में जांच के लिए भेजा जा रहा है किसी भी क्षेत्र के जल दुषित होने पर त्वरित रूप से ख़ांत का उपचार किया जाता है ताकि क्षेत्र में जनजनित बिमारियों को प्रकोप न फैले साथ ही जल शुद्धिकरण हेतु नागरिकों में क्लोरिन टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। निगम के मुख्य कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनया गया है जिसका दुरभाष क्रं. 0788-2294303 पर नागरिक पानी संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

आयुक्त ने बरसात में निचली बस्तियों में जल भराव न हो इसके लिए नाली के उपर हुए अतिक्रमन को हटाने के पूर्व चिन्हित नालियों की सूची बनाने के निर्देश दिये हैं। जी.ई.रोड सहित शहर के मुख्य मार्गों तथा अन्डरब्रिज का सौदर्यीकरण किये जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता से विस्तृत जानकारी प्राप्त किये। मार्ग प्रकाश, उद्यानों की सफाई, स्कूल जतन योजना, निदान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संपत्ति विरूपण की जानकारी आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा किये।

बैठक में अपर आयुक्त, उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता सभी विभाग प्रमुख उपस्थिति थे।

